



बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री के० ए० एच० सुब्रमण्यम  
आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त ।

पटना-15, दिनांक- 25-10-2002.

विषय:- धाना भवन एवं हाजत गृह के निर्माण हेतु सरकारी भूमि गृह §आरक्षी§ विभाग को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण करने की शक्तियाँ प्रमंडलीय आयुक्तों को प्रत्यायोजित करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त ~~विभाग~~ राजस्व विभागीय परिपत्र सं०-204

रट० दिनांक- 24-9-01 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये कहना है कि ओ०पी०/टी०ओ०पी०/सहायक धाना भवन निर्माण हेतु भी उपर्युक्त परिपत्र में अंकित प्रावधानों के तहत भूमि हस्तान्तरण की कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

§2§ गैर मजरा आम भूमि के बन्दोवस्ती की शक्ति सरकार में निहित है । अतएव गैरमजरा आम भूमि के हस्तान्तरण संबंधी प्रस्ताव स्वीकृति हेतु सरकार को भेजने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

के०ए०एच० सुब्रमण्यम  
आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञापक- 2445 रट० पटना-15, दिनांक- 25-10-2002.

प्रतिलिपि सभी विभागीय सचिव-सह-आयुक्त/सचिव/  
सभी समाहर्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

के०ए०एच० सुब्रमण्यम  
आयुक्त एवं सचिव ।